



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 10 फरवरी, 2021  
माघ 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2  
संख्या 309/बावन-2-2021-2-(255)-03टी0सी0-I  
लखनऊ, 10 फरवरी, 2021  
अधिसूचना

प०आ०-39

चूँकि उ०प्र० सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम सं०-43, सन् 1995) की धारा 14 के अधीन उ०प्र० राज्य में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के गठन हेतु निम्नलिखित श्रेणियों के लिये सामान्य निर्वाचन उ०प्र० शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड निर्वाचन का संचालन नियमावली, 1997 के अनुसार कराया जाना अधिसूचित किया गया है:-

1-श्रेणियों के नाम, जिसके लिये निर्वाचन कराया जाना है-

- (क) उत्तर प्रदेश राज्य से सुन्नी समुदाय के दो संसद सदस्य [धारा-14 (1), (ख)(I) के अधीन],
- (ख) उत्तर प्रदेश के सुन्नी समुदाय के दो विधान मण्डल सदस्य [धारा-14 (1), (ख)(II) के अधीन],
- (ग) उत्तर प्रदेश के सुन्नी समुदाय के राज्य बार कौंसिल के दो सदस्य [धारा-14 (1), (ख)(III) के अधीन],
- (घ) रुपये एक लाख प्रति वर्ष या इससे अधिक आय वाले वक्फ के दो मुतवल्लीगण [धारा-14(1), (ख)(IV) के अधीन],

2-अतएव, अब, उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड निर्वाचन का संचालन नियमावली, 1997 के नियम-7 के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 43, सन् 1995) की धारा 14 और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के

प्रावधानों के अनुसरण में श्री राज्यपाल निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और के सदस्यों का निर्वाचन, नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा :-

1	निर्वाचन हेतु अधिसूचना	10-02-2021	
2	निर्वाचन नामावली तैयार किया जाना	11-02-2021 से 24-02-2021	
3	निर्वाचन नामावली का प्रकाशन	25-02-2021	
4	निर्वाचन नामावली पर आपत्ति प्राप्त करना	26-02-2021 से 28-02-2021	पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 5.00 बजे तक
5	प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण	02-03-2021	
6	अन्तिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन	03-03-2021	
7	नाम निर्देशन प्रस्तुत करना	04-03-2021	पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 3.00 बजे तक
8	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	04-03-2021	
9	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी	05-03-2021	पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 2.00 बजे तक
10	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	05-03-2021	
11	मतदान किया जायेगा यदि आवश्यक हुआ,	06-03-2021	पूर्वाह्न 8.00 से अपराह्न 4.00 बजे तक
12	मतगणना की तिथि	06-03-2021	अपराह्न 4.00 बजे से 5.00 बजे तक
13	परिणाम की घोषणा	06-03-2021	अपराह्न 5.00 बजे से 6.00 बजे तक

उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यालय उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के कक्ष सं० 2 में सम्पन्न करायी जायेगी।

आज्ञा से,  
बी०एल० मीणा,  
प्रमुख सचिव।